डिस्कलेमर

आदेश संख्या 40/2022-23 के परिशिष्ट का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

[फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/एआईएएल-अहमदाबाद/सीपी-III/2021-26/]

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

आदेश संख्या 40/2022-23 का परिशिष्ट

ऐरा भवन
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स,
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली– 110003

जारी करने की तारीख: 03 मार्च, 2023

हवाईअड्डा प्रचालक : अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड
हवाईअड्डा : सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (एसवीपीआईए), अहमदाबाद

सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, अहमदाबाद (एएमडी) के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (01.04.2021–31.03.2026) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

1. भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण ("ऐरा" या "प्राधिकरण") ने दिनांक 18 जनवरी, 2023 के आदेश संख्या 40/2022-23 द्वारा एसवीपीआईए, अहमदाबाद के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (01.04.2021-31.03.2026) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित की है।

2. संलग्नक-I के अंतर्गत दिए गए टैरिफ दर कार्ड में, प्राधिकरण ने 100 एमटी तक के वजन वाले विमान की उड़ानों के लिए अंतरदेशीय लैंडिंग और पार्किंग प्रभार अनुमोदित किए हैं।

3. आदेश जारी होने के बाद, एआईएएल ने दिनांक 27 फरवरी, 2023 के अपने पत्र द्वारा यह सूचित किया है कि कुछ अंतरदेशीय उड़ानें 100 एमटी से अधिक वजन वाले विमानों से संचालित की जाती हैं और प्राधिकरण के विचारार्थ निम्नलिखित प्रस्ताव किया है:

   "टैरिफ कार्ड में यथानिर्धारित अंतरदेशीय क्षेत्र के लिए लैंडिंग और पार्किंग दरें सभी प्रकार के अंतरदेशीय विमानों के लिए लागू हैं, चाहे ये विमान 100 एमटी तक या 100 एमटी से अधिक वजन वाले हो"

4. अपनी जांच के आधार पर, प्राधिकरण का यह मत है कि इसे सम्मिलित किए जाने से नियंत्रण अवधि के प्रत्येक टैरिफ वर्ष के लिए यथाअनुमोदित अंतरदेशीय उड़ानों के मामले में लैंडिंग और पार्किंग प्रभार को लागू करने के संबंध में और स्पष्टता आएगी। इसलिए प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए आदेश संख्या 40/2022-23 के संलग्नक -I –ए (ए) (नोट) के अंतर्गत प्वाइंट vi और संलग्नक I – ए (बी) (नोट) के अंतर्गत प्वाइंट viii के रूप में निम्नलिखित को सम्मिलित करने पर विचार करने का निर्णय पर लेता है :

   "टैरिफ कार्ड में यथा निर्धारित अंतरदेशीय प्रभार अंतरदेशीय क्षेत्र के सभी प्रकार के विमानों अर्थात 100 एमटी तक के या 100 एमटी से अधिक वजन वाले विमानों के लिए लागू हैं"

आदेश

5. प्राधिकरण भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्राधिकरण के समक्ष रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों और स्पष्टीकरणों के आधार पर आदेश संख्या 40/2022-23 में क्रमश: लैंडिंग प्रभार के मामले में प्वाइंट vi के रूप में संलग्नक-I (ए) (नोट) और पार्किंग प्रभार के मामले में प्वाइंट viii के रूप में संलग्नक -I (बी) (नोट) के अंतर्गत निम्नलिखित को सम्मिलित करने का निर्णय और आदेश देता है :

"टैरिफ कार्ड में यथा निर्धारित अंतरदेशीय प्रभार *अंतरदेशीय क्षेत्र के सभी प्रकार के विमानों अर्थात 100 एमटी तक के या 100 एमटी से अधिक वजन वाले विमानों के लिए लागू हैं* "

6. दिनांक 18 जनवरी, 2023 के आदेश संख्या 40/2022-23 की अन्य शर्तें एवं निबंधन यथावत रहेंगे।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(राम कृष्ण)
निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी)

सेवामें,

श्री अरूण बंसल,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी- अदानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग लिमिटेड,
अदानी कॉरपोरेट हाऊस,
अहमबाबाद -382421
गुजरात, भारत

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली–110003

नागर विमानन महानिदेशालय को एआईसी जारी करने के लिए